

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग,
आधिसूचना

भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम 2013 की धारा 4 सहपठित नियम 7 केअंतर्गत


नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात :-


जिला	तहसील	ग्राम नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
रायगढ़	पुसौर	घुघुवा	0.540 हे.	पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ

उपरोक्त उल्लेखित भूमि के अर्जन की सामाजिक समाधात निर्धारण के अद्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक
26/12 /2017 को समय दिन के 11.00 बजे स्थान ग्राम पंचायत भवन घुघुवा पर नियत की गई है। प्रस्तावित
भूमि अर्जन का अन्वय विवरण निम्नानुसार है :-

- (एक) लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण - पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य प्रयोजनार्थ ।
- (दो) प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या- 09 (नौ)
- (तीन) अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या- 17 (सतराह)
- (चार) प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसंपत्तियों का अनुमानित संख्या - निरंक
- (पांच) प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसंपत्तियों की अनुमानित संख्या - निरंक
- (छः) क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है - हां
- (सात) क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है। - हां उल्लेखित भूमि पुल एवं पहुँच मार्ग निर्माण कार्य योजना हेतु प्रस्तावित है।
- (आठ) परियोजना की कुल लागत रु. 1320 लाख में
- (नौ) परियोजना से होने वाला लाभ - निरंक
- (दस) प्रस्तावित सामाजिक समाधात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्ब्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसूची 2 में दर्शायी गई तथा समय-समय पर छ.ग. शासन द्वारा बताई गई उपाय का अनुपालन किया जावयेगा। संभावित व्यय रु. 5,00,000/- (पांच लाख) या वास्तविक व्यय जो भी अधिक हो।
- (ग्यारह) परियोजनाद्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक - निरंक
उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी सुझाव देना ही तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।

प्रतिहस्ताक्षर


कलेक्टर (रा.ग.) एवं
अ-संयोजक राजस्व विभाग (छ.ग.)


कलेक्टर (रा.ग.) एवं
अ-संयोजक राजस्व विभाग (छ.ग.)